

वर्ष : 2024

खण्ड – xiii

राज्य सूचना आयोग द्वारा अनुदत्त रियायतें, अनुज्ञापनों या प्राधिकारों के
प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1)(ख)(xiii) के अंतर्गत)

राज्य सूचना आयोग से असंबंधित हैं।